मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. /22/वि–9/आरजीएम/2008 भोपाल, दिनांक /01/2008

आदेश क्र. 25/ जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**
   मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत (समस्त)
   मध्यप्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत (समस्त)
4. **परियोजना अधिकारी,**
   मिली वाटरशेड (समस्त)

विषयः– जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के सूचारू क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :–

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का स्वरूप जनसहभागात्मक एवं समेकित होने के कारण इस कार्यक्रम में समुदाय संगठन एवं प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट क्रियान्वयन प्रक्रिया एवं शैली को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक एक प्रभावी अधोसंरचनात्मक ढांचा स्थापित किया गया है।

इस ढांचे का कार्यक्रम में प्रभावी योगदान सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पर्याप्त रूप से चेतना जागृती तथा उसकी क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास किया जाये। इसलिये जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की कार्य प्रणाली में प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास की गतिविधियों को संपादित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान भी किये गये हैं।

1.2 प्रशिक्षण की आवश्यकता :

चूंकि इस कार्यक्रम के प्रभावित व्यक्तियों (स्टेक होल्डर) के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के साथ ही साथ उपयोगकर्ता दल/स्व–सहायता समूह/महिला बचत एवं साख समूह तथा जलग्रहण समिति के सदस्यगण, परियोजना स्तर पर क्रियान्वयन दल के सदस्य, जिला स्तर पर स्थापित जलग्रहण क्षेत्र प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर वाटरशेड कार्यक्रम से जुड़े समस्त व्यक्तियों के साथ ही साथ त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य एवं अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि इत्यादि भी शामिल हैं, इसलिये इन सभी व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर विस्तृत आयोजना एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

2. प्रशिक्षण के संपादन हेतु प्रस्तावित कार्यप्रणाली :

अतः इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रशिक्षण एवं अन्य अनुषंगिक गतिविधियों हेतु कास्केड प्रणाली को मान्यता दी गई है। इस अवधारणा के अन्तर्गत :

- **प्रथम स्तर** : (राज्य) जिलों के लिये *जिला स्तरीय प्रशिक्षकों* हेतु प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षित करना

- **द्वितीय स्तर** : (जिला) प्रथम स्तर पर प्रशिक्षित *जिला स्तरीय प्रशिक्षकों* के माध्यम से विकासखण्ड/परियोजना स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन दल एवं अन्य स्टेक होल्डरों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षित करना

- **तृतीय स्तर** : (विकासखण्ड/परियोजना) द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा अन्य सदस्यों, ग्रामीण जल अभिषेक समितियों के अध्यक्षों तथा सचिवों/वाटरशेड कर्मियों, जल मित्र, समूह मित्र, कृषि मित्र इत्यादि के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षित करना

- **चतुर्थ स्तर** : (ग्राम) तृतीय एवं द्वितीय स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षिकों द्वारा ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के साथ ही साथ उपयोगकर्ता दल/स्व–सहायता समूह/महिला बचत एवं साख समूह तथा जलग्रहण समिति के सदस्यगणों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें प्रशिक्षित करना

इस संबंध में और अधिक विवरण आगे दिया गया है।

इस प्रकार की व्यवस्था के कारण जैसे–जैसे हम राज्य स्तर से ग्राम स्तर की ओर बढते जाते है, प्रशिक्षित अमले का आधार बढता जाता है, प्रशिक्षण गतिविधि अधिक बेहतर, प्रभावोत्पादक ओर मांग आधारित होती जाती है और इस विधा से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की *अधोपरी* कार्यप्रणाली को भी बल मिलता है।

कास्केड प्रणाली द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति न केवल स्वयं की भूमिका तथा दायित्व के प्रति समुचित न्याय कर पाता है, साथ ही, उसका अपना आवश्यक योगदान भी दे पाता है, जिससें गतिविधियों का सफल एवं परिणाममूलक संचालन भी सुनिश्चित हो जाता है।

इसलिये यह जरुरी है कि राज्य स्तर के साथ ही जिला/परियोजना (विकासखण्ड)/ग्राम जैसे विभिन्न स्तरों पर भी समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप एक निश्चित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये और सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि का पूर्ण प्रभावी उपयोग किया जा सकें।

3. प्रशिक्षण व्यवस्था – वर्तमान परिदृष्य :

कार्यक्रम की निरन्तरता व गुणात्मक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता से संबंधित गतिविधियों की महत्ता को प्रत्येक स्तर पर समझना आवश्यक है। साथ ही वाटरशेड कार्यक्रम के तहत सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण मद में उपलब्ध पर्याप्त राशि के व्यय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अतः आवश्यक है कि जिला एवं उससे निम्न स्तरों पर उद्देश्यपरक प्रशिक्षण गतिविधियों का सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयोगी हो सके तथा कार्यक्रम की निरन्तरता, गुणवत्ता एवं उसकी निष्पत्तियां सुनिश्चित हो सके।

जलग्रहण परियोनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिये राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा विस्तृत गतिविधि सारणी तथा प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार करने संबंधी आदेश क्र. 6657/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 दिनांक 15/03/2005, जिसके अन्तर्गत समस्त जिलों को भेज गया था। जिसके अनुपालन में यह गतिविधि सारणी जिला, ब्लॉक/मिली वाटरशेड तथा परियोजना स्तर पर पृथक – पृथक प्रतिवर्ष तैयार करना अपेक्षित था और साथ ही प्रत्येक स्तर पर आवश्यकतामूलक प्रशिक्षण केलेण्डर भी बनाया जाना अनिवार्य था, परन्तु खेद का विषय है कि अधिकांश जिलों द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई पहल नहीं की गई।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्टनर एन.जी.ओ. की भूमिका :

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के आदेश क्र. 22 के अनुसार जिला स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का चुनाव निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों के विशिष्ट अनुभव एवं प्रशिक्षण कार्यों में उनकी निपुणता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए।

राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में चयनित विशेषज्ञ पार्टनर एन.जी.ओ. एवं रिसोर्स संस्थाओं जैसे वाल्मी, एस.आई.आर.सी., ई.टी.सी., पी.टी.सी. की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाना चाहिए, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का प्रभावी क्षमतावर्धन हो सके।

5. न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्षिक प्रशिक्षण केलेण्डर :

उपरोक्त परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के परिणाम मूलक क्रियान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर मांग आधारित *"न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम"* निर्धारित किये गये हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि अनुलग्नक – 1 में दर्शाये अनुसार प्रत्येक जिले में **"न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम"** नियमित रूप से संपादित किया जाये।

"न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम" के अनुरूप प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तरों पर वार्षिक प्रशिक्षण केलेण्डर अनुलग्नक – 2 में दिये गये प्रारूप के अनुसार बनाये जायें, जिसे जिला स्तर पर एकजाई कर मिशन मुख्यालय को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेजा जाये।

"न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किये जाने से संबंधित आवश्यक प्रमाण–पत्र किस्तों के प्रस्ताव के साथ ही लगाना भी आवश्यक होगा अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

प्रत्येक जिले में न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बनाये गये वार्षिक प्रशिक्षण केलेण्डर में शामिल प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्व में उल्लेखित कास्केड प्रणाली के तहत चार स्तरों पर निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :

5.1 राज्य स्तर :–

राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिये 'मध्यप्रदेश जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान' (वाल्मी), भोपाल को दायित्व सौंपा जायेगा। राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन तथा वाल्मी, भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

5.2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मिशन मुख्यालय की भूमिका :–

- लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान।
- राज्य/जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित करना
- प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों तथा सन्दर्भ साहित्य, लक्षित प्रशिक्षणार्थियों की पहचान कर डेटाबेस तैयार करना।
- जिला स्तर, ब्लॉक/मिली वाटरशेड स्तर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करना।
- राज्य स्तर पर आवश्यकतामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वार्षिक केलेण्डर बनाना।
- विभिन्न प्रशासकीय, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावार्णीय पहलुओं पर 'प्रशिक्षण का प्रशिक्षण' आयोजित करना।
- जिलों से प्राप्त वार्षिक केलेण्डर (प्रशिक्षण कार्ययोजना) की समीक्षा करना।
- विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु सन्दर्भ साहित्य तैयार करना।
- विशिष्ट प्रशिक्षणों का आयोजन।

5.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वाल्मी की भूमिका :–

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबधंन मिशन द्वारा चिन्हित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों तथा सन्दर्भ साहित्य की पहचान कर डाटाबेस तैयार करने में मिशन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला/ब्लॉक/मिली वाटरशेड तथा ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करने में मिशन को सहयोग प्रदान करना।
- मिशन द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु विषयवस्तु, सन्दर्भ साहित्य/प्रशिक्षण साहित्य तैयार करना तथा विषय विशेषज्ञों (स्त्रोत व्यक्ति) की पहचान करना।

5.4. लक्षित प्रशिक्षणार्थी :– जलग्रहण क्षेत्र तकनीकी समिति तथा जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ के सदस्य, राज्य/जिला स्तरीय मास्टर (वरिष्ठ) ट्रेनर एवं पार्टनर एन.जी.ओ. और जिला पंचायत में पदस्थ तथा चुने हुये परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के परियोजना अधिकारी एवं अन्य सदस्य (जिला स्तरीय मास्टर (वरिष्ठ) ट्रेनर के रूप में)

6. जिला स्तर :–

वर्तमान में जिला स्तर पर जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत समेकित विकास की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये विशिष्ट सहयोग, सलाह व मार्गदर्शन प्रदाय करने का दायित्व 'जलग्रहण क्षेत्र तकनीकी समिति' तथा जलग्रहण एव जल संग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा संपादित किया जाता है।

जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उपरोक्त दोनों संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ, जिला स्तरीय मास्टर (वरिष्ठ) ट्रेनर, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, पार्टनर एन.जी.ओ. द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सभी लक्षित वर्गों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

6.1 भूमिका :–

- जिले में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान।
- विषय विशेषज्ञों की पहचान एवं सन्दर्भ साहित्य का संकलन।
- आवश्यकता अनुसार वांछित साहित्य आधुनिक सामग्री राज्य स्तर/अन्य स्त्रोत से प्राप्त करना।
- राज्य स्तर/अन्य स्त्रोतों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में अपेक्षित सहयोग देना, साथ ही प्रशिक्षण हेतु निर्धारित व्यक्ति को प्रशिक्षण में भेजा जाना सुनिश्चित करना।

- राज्य स्तर/अन्य स्त्रोत से प्रशिक्षण की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी को समय पर सूचित करना और सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में बराबर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

- प्रशिक्षण से लौटने के उपरांत प्रशिक्षणार्थी से प्रशिक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना एवं प्राप्त प्रशिक्षण का अधिक से अधिक उपयोग जिले में हो इस संबंध में उनसे चर्चा कर सुझाव प्राप्त करना और उन पर अमल करना।

- किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित न रहने पर अथवा प्रशिक्षण सत्र में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी के विरूद्ध जांच पड़ताल कर समुचित प्रशासकीय कार्यवाही करना।

- प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना (प्रशिक्षण हॉल, हास्टल, दृश्य–श्रव्य उपकरण इत्यादि) की व्यवस्था।

- जिला स्तर पर आवश्यकतामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वार्षिक केलेण्डर बनाना।

- विभिन्न प्रशासकीय, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावर्णीय पहलुओं के साथ ही साथ लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया पर 'पी.आई.ए.' एवं अन्य स्टेक होल्डरों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

- 'पी.आई.ए.' से प्राप्त प्रशिक्षण के वार्षिक केलेण्डर की समीक्षा करना।

- ब्लॉक/मिली वाटरशेड तथा ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण का अनुश्रवण कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट बनाना एवं स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग के दौरान प्रस्तुत करना।

6.2 लक्षित प्रशिक्षणार्थी :–

जिला स्तर पर समस्त पी.आई.ए. के सदस्यों के साथ ही साथ, वाटरशेड कार्यक्रमों के जिले में स्थित अन्य स्टेक होल्डरों (त्रि–स्तरीय जिला पंचायत के सदस्य, निर्वाचित अन्य जन प्रतिनिधि, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी इत्यादि) को परियोजना की आवश्यकतानुरूप निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा।

6.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार –

राज्य स्तर पर निम्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

- परियोजना क्रियान्वयन दल हेतु एक्सपोजर विजिट

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ एवं इनकी भूमिका

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड व रजिस्टर
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु लक्ष्य आधारित कार्ययोजना के निर्माण की प्रक्रिया
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली जल एवं भूमि संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाएं
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सामुदायिक संगठन
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सामुदायिक संगठन
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु सहभागी प्रशिक्षण पद्धति एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान
- समग्र एवं समेकित ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय

7. ब्लॉक स्तर/मिली वाटरशेड स्तर :–

जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पहलुओं का विकास सुनिश्चित करने के लिये मिली वाटरशेड स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन किया गया है। मिली वाटरशेड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला स्तर पर प्रशिक्षित सम्बन्धित पी.आई.ए. सदस्यों एवं अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

संबंधित पी.आई.ए. उनके अन्तर्गत समस्त माइक्रोवाटरशेड की आवश्यकतानुरूप, निर्धारित मानदण्डों अनुसार, विभिन्न लक्षित वर्गों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। प्रशिक्षण की आयोजना एवं अनुश्रवण हेतु पार्टनर एन.जी.ओ. का सहयोग आवश्यक रूप से लिया जाना चाहिये। साथ ही संबंधित विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ के रूप में जोड़ा जाना चाहिये। लक्षित समूहों के क्षमतावर्धन तथा कौशल विकास हेतु संबंधित विषय तथा व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण की गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिये।

7.1 भूमिका :–

- मिली वाटरशेड के अन्तर्गत आने वाले समस्त माइक्रोवाटरशेड से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं अन्य सदस्य, ग्रामीण जल अभिषेक जलग्रहण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव/वाटरशेडकर्मी, जल मित्र, समूह मित्र, विकास मित्र इत्यादि के लिये दिये गये मानदण्डो अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करना।
- मिली वाटरशेड स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु वार्षिक केलेण्डर बनाना।
- प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था करना।
- अन्य स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षणों में अपने स्तर से वांछित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों के सहभाग को सुनिश्चित करना।
- प्राप्त प्रशिक्षण का अधिक से अधिक उपयोग परियोजना क्षेत्र में हो इस संबंध में उनसे चर्चा कर सुझाव प्राप्त करना और उन पर अमल करना।

- ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से प्राप्त प्रशिक्षण केलेण्डर की समीक्षा करना।
- ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों का, केलेण्डर के अनुसार अनुश्रवण करना।

7.2 लक्षित प्रशिक्षणार्थी :–

मिली वाटरशेड के अन्तर्गत आने वाले समस्त माइक्रोवाटरशेड से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं अन्य सदस्य, ग्रामीण जल अभिषेक जलग्रहण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव/वाटरशेडकर्मी, जल मित्र, समूह मित्र, विकास मित्र, परियोजना की आवश्यकतानुरूप निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी इत्यादि।

7.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार –

ब्लॉक स्तर पर लक्षिण प्रशिक्षणार्थियों के लिए निम्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की अवधारणा, आवश्यकता एवं उद्देश्य
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का सहभागी नियोजन एवं क्रियान्वयन
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों / संरचनाओं का रखरखाव एवं उससे प्राप्त लाभों का न्यायोचित वितरण
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली जल एवं भूमि संरक्षण एवं संवर्धन

8 ग्राम/माइक्रोवाटरशेड स्तर :–

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक संगठनों – उपयोगकर्ता दलों, स्व–सहायता समूहों तथा ग्रामीण जल अभिषेक जलग्रहण समितियों को संस्थागत सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड/ग्राम स्तर पर तीन कार्यकर्ताओं – जल मित्र, समूह मित्र तथा विकास मित्र की नियुक्ति की गई है।

ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विकासखण्ड/मिलीवाटरशेड स्तर पर प्रशिक्षित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता यथा – सचिव, ग्रामीण जल अभिषेक जलग्रहण समिति, जल मित्र, समूह मित्र तथा विकास मित्र द्वारा किया जायेगा।

ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने में संबंधित सरपंच, पी.आई.ए., इत्यादि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

8.1 भूमिका :–

- ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का वार्षिक केलेण्डर बनाना।
- प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था करना।
- अन्य स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षणों में अपने स्तर से वांछित संख्या में प्रशिक्षणार्थियों के सहभाग को सुनिश्चित करना।
- प्राप्त प्रशिक्षण का अधिक से अधिक उपयोग परियोजना क्षेत्र में हो इस संबंध में उनसे चर्चा कर सुझाव प्राप्त करना और उन पर अमल करना।
- वार्षिक केलेण्डर अनुसार उपयोगकर्ता दलों, स्वावलंबन दलों, महिला बचत एवं साख समूहों, ग्रामीण जल अभिषेक एवं जलग्रहण समिति के अन्य सदस्यों के लिये आवश्कतामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- विभिन्न समूहों एवं दलों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं विशेष क्षेत्र में कौशल विकास हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुभवी तथा सिद्धहस्त संसाधन व्यक्तियों की व्यवस्था कर आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ग्राम स्तर पर विभिन्न लक्षित वर्गों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना।

8.2 लक्षित प्रशिक्षणार्थी :

ग्राम स्तर पर उपयोगकर्ता दल, स्वयं सहायता समूह, महिला बचत एवं साख समूह, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूरों को परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8.3 प्रशिक्षण के प्रकार :

- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न दलों/समूहों का गठन, भूमिका एवं दायित्व
- दलों एवं समूहों की नियमित बैठकों का आयोजन, रिकॉर्ड, रजिस्टर का संधारण, लेनदेन, बचत एवं बैंक खातों का संधारण
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं का रखरखाव एवं उनसे प्राप्त लाभों का वितरण
- संसाधन आधारित आयमूलक गतिविधियों की पहचान एवं क्रियान्वयन
- कृषि आधारित आयमूलक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण – उद्यानिकी विकास, चारागाह विकास, पौधशाला निर्माण, जैविक खेती

- आजीविका के अन्य विकल्पों हेतु प्रशिक्षण : मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, ईंटों का निर्माण, मशरूम कल्टीवेशन, दोना पत्तल निर्माण, वनोपज पैंकिंग, लाख निर्माण इत्यादि

9. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं :–

प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित करने के लिये जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर आवश्यक अधोसंरचना की पहचान की जाना चाहिये। जैसे :–

- प्रशिक्षण कक्ष।
- प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुरूप बैठक व्यवस्था।
- ब्लैक बोर्ड/व्हाइट बोर्ड, चाक, व्हाइट बोर्ड पेन, परमानेन्ट मार्कर, डस्टर इत्यादि।
- प्रशिक्षण हेतु स्टेशनरी (राईटिंग पेड, पेन, ड्राइंग शिट, बोल्ड मार्कर, स्केच पेन इत्यादि)
- दृश्य–श्रव्य साधन (ओ.एच.पी. प्रोजेक्ट, एल.सी.डी., वीडियो फिल्म आदि)
- हॉस्टल/मेस
- प्रशिक्षण को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये जिले में पूर्व से प्रशिक्षित मास्टर (विशिष्ट) ट्रेनरों की पहचान कर उन्हें कण्डिका – 6 में दिये अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण टीमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- जिले में चयनित विभिन्न पार्टनर एन.जी.ओ. को स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ के रूप में आवश्यक रूप से प्रशिक्षण टीमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- संबंधित विभागों यथा किसान कल्याण एवं कृषि, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी पशुपालन, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इत्यादि विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप स्त्रोत व्यक्ति के रूप में सभी स्तरों की प्रशिक्षण टीमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- ऐसे समस्त विषय विषेशज्ञा से गठित प्रशिक्षण टीमों को समय–समय पर राज्य स्तर पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाना चाहिये ताकि विभिन्न विषयों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके।
- जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत मृदा एवं जलसंवर्धन हेतु भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिये प्रत्येक पहलू पर प्रशिक्षण के माध्यम से लक्षित प्रशिक्षणार्थियों की समझ व कौशल को विकसित किया जाना चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि स्त्रोत व्यक्तियों की समझ इन पहलुओं पर स्पष्ट हो।

- प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय व सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये। चूँकि यह प्रशिक्षण वयस्कों के लिये होने से सहभागी प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिये। तकनीकी विषयों को समझाने के लिये चार्ट, पोस्टर, फिल्म, मॉडल आदि का प्रयोग सुनिश्चित करें।

- सामाजिक/आर्थिक विषयों को स्पष्ट करने के लिये कहानी, केस स्टडी, गीत नाटिका जैसे रूचिकर पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

9.1 **विशेष ध्यान दें :** स्थानीय परिस्थिति एवं बिजली की उपलब्धता तथा निरन्तरता को देखते हुये बिजली आधारित आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर पूरी तरह आश्रित नहीं रहना चाहिये, अन्यथा अप्रत्याशीत परिस्थितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। परम्परागत संसाधन एवं विधाओं को ही महत्व दें, जिससे कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप जनसहभागात्मक, समूह चर्चा, सामूहिक गतिविधियों तथा प्रस्तुतियों पर विशेष जोर देने वाला होना चाहिये। प्रशिक्षण में निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिये तथा फील्ड प्रदर्शन और *खुद करें* पद्धतियों पर आधारित गतिविधियों को भी उसमें यथासम्भव अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिये। क्षेत्र भ्रमण तथा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के उदाहरणों को भी प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

9.2 पार्टनर एन.जी.ओ. को भुगतान –

प्रत्येक जिले में पार्टनर एन.जी.ओ. के रूप में चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं को समय–समय पर सौंपे गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन उपरान्त मान्य दरों के मान से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु जिले द्वारा निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

- जिले में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में आवश्यकतामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संबंधित जिले में चयनित पार्टनर एन.जी.ओ. से आवेदन **अनुलग्नक – 4** में दिये गये मानदण्डों के अनुसार आमंत्रित किये जायेंगे।

- निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले पार्टनर एन.जी.ओ. को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कार्य सौंपा जायेगा। भुगतान के पूर्व एन.जी.ओ. द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जिला पंचायत द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन की पुष्टि के उपरान्त राशि का भुगतान किया जायेगा।

- एन.जी.ओ. को राशि का भुगतान पी.आई.ए. के प्रशासकीय मद जिला पंचायत के प्रशासकीय मद, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की नैमित्तिक मद एवं अन्य मद में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जायेगा।

10 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण गतिविधियों का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि परियोजना के प्रत्येक चरण में गतिविधियों को संपादित करने से पूर्व लक्षित प्रशिक्षणार्थियों को

आवश्यकतानुरूप ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाये। ताकि परियोजना के समयानुरूप परिणामों को प्राप्त किया जा सके।

प्रत्येक स्तर पर निश्चित प्रशिक्षण टीम द्वारा अपने अधीन आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

- जिले में प्रत्येक माह में हर स्तर – जिला/विकासखण्ड (मिलीवाटरशेड अथवा परियोजना)/ग्राम स्तर – पर कम से कम दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये जिसमें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये :
  - विषय वस्तु
  - स्त्रोत व्यक्ति/विषय विशेषज्ञ
  - प्रशिक्षण सामग्री
  - सन्दर्भ साहित्य
  - लक्षित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति
- माह में निरीक्षण किये गए समस्त प्रशिक्षणों की जानकारी संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक – 3) के अनुसार ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से पी.आई.ए. को तथा पी.आई.ए. से जिला प्रशिक्षण टीम को प्रतिमाह भेजी जाना चाहिये। तत्पश्चात् जिले से यह जानकारी एकजाई कर स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग के दौरान प्रस्तुत की जाना चाहिये।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन व अनुश्रवण की जानकारी प्रतिमाह एम.आई.एस. (रूरल सॉफ्ट) में भेजी जाये। जिले की ग्रेडिंग में संपादित प्रशिक्षणों के गुणवत्ता स्तर एवं अनुश्रवण के प्रारूप को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा न होने पर परियोजनाओं की ग्रेडिंग भी प्रभावित होगी।
- किश्त के प्रस्तावों के साथ न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये गये प्रशिक्षण सत्रों के संबंध में भी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें राज्य स्तर पर ही रोक लिया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन

पृ. क्र. /22/वि–9/आर.जी.एम./2008 भोपाल, दिनांक : /01/2008

प्रतिलिपि :

1. सम्भागायुक्त–समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

4. संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(सचिन सिन्हा)
सचांलक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
म.प्र. भोपाल

अनुलग्नक – 1

न्यूनतम प्रशिक्षण कार्यक्रम

परियोजना अवधि	स्तर	विषय	प्रशिक्षण टीम	प्रशिक्षणार्थी
प्रथम वर्ष	जिला	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं हरियाली गाईड लाईन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ एवं इनकी भूमिका। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्याकन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड व रजिस्टर। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु लक्ष्य आधारित कार्य योजना के निर्माण की प्रक्रिया। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचानयें। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के परियोजना के लिये सामुदायिक संगठन। • समग्र एवं समेकित ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय। • सहभागी प्रशिक्षण पद्धति एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान। • आवश्यकता मूलक प्रशिक्षण कार्याक्रमों का आयोजन। • वार्षिक प्रशिक्षण केलेण्डर का निर्माण।	जिला तकनीकी सलाहकार समिति/जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ/ पार्टनर एन.जी.ओ.	पी.आई.ए.
	ब्लॉक/ मिलीवाटरशेड	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं हरियाली गाईड लाईन।	प्रशिक्षित पी.आई.ए. सदस्य / पार्टनर एन.जी.ओ.	• ग्रामीण जलाभिषेक समिति के अध्यक्ष/सचिव

		• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ एवं इनकी भूमिका। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का सहभागी नियोजन एवं क्रियान्वयन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों का वितरण एवं उनका रख रखाब। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्याकन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड व रजिस्टर। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के परियोजना के लिये सामुदायिक संगठन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचानयें। • आवश्यकता मूलक प्रशिक्षण कार्याक्रमों का आयोजन।		• ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता : जल मित्र, विकास मित्र, समूह मित्र
	ग्राम	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की आवश्यकता एवं उद्देश्य। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अर्न्तगत विभिन्न दलों/समूहों का गठन, भूमिका एवं दायित्व। • दलों/समूह की नियामित बैठकें, रिकॉर्ड–रजिस्टर, लेन–देन, बचत एवं बैंक खातों का संचालन। • जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अर्न्तगत निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं का रख–रखाब एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का वितरण। • निजी एवं सामूदायिक भूमि पर मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभिन्न आवश्यक उपचार।	• ग्रामा स्तरीय कार्यकर्ता/पार्टनर एन.जी.ओ. • ग्रामीण जलाभिषेक जलग्रहण समिति के अध्यक्ष/सचिव	• उपयोगकर्ता दल • स्वयं सहायता समूह • महिला बचत एवं साख समूह • लद्यु एवं सिमांत किसान • भूमिहीन मजदूर
द्वितीय वर्ष	जिला स्तर	• जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थान चयन, डिजाईन, लेआऊट, प्राक्कलन, निर्माण हेतु ली जाने	जिला तकनीकी सलाहकार समिति/जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ/	पी.आई.ए.

		वाली सावधानिया एवं रख–रखाब। • उन्नत कृषि तकनीकी–कृषि वानिकी, मिश्रित फसल एवं उद्यांनिकी। • कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली नई तकनीकें, उन्नत बीज, खाद एवं उपकरणों का उपयोग। • स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से नाडेप एवं वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण एवं उपयोग। • स्वयं सहायता समूहों के लिये कृषि आधारित आजीविका के विकल्प : वृक्षारोपण, उद्यांनिकी विकास, चारा–गाह विकास तथा नर्सरी विकास।	पार्टनर एन.जी.ओ.	
	ब्लॉक / मिलीवाटरशेड	• जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थान चयन, डिजाईन, लेआऊट, प्राक्कलन, निर्माण हेतु ली जाने वाली सावधानिया एवं रख–रखाब। • उन्नत कृषि तकनीकी–कृषि वानिकी, मिश्रित फसल एवं उद्यांनिकी। • कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली नई तकनीकें, उन्नत बीज, खाद एवं उपकरणों का उपयोग। • स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से नाडेप एवं वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण एवं उपयोग। • स्वयं सहायता समूहों के लिये कृषि आधारित आजीविका के विकल्प : वृक्षारोपण, उद्यांनिकी विकास, चारागाह विकास तथा नर्सरी विकास।	प्रशिक्षित पी.आई.ए. सदस्य / पार्टनर एन.जी.ओ.	• ग्रामीण जलाभिषेक समिति के अध्यक्ष / सचिव • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता : जल मित्र, विकास मित्र, समूह मित्र
	ग्राम	• संसाधन आधारित आयमूलक गतिविधियों की पहचान। • आयमूलक गतिविधियों हेतु परियोजना निर्माण, रिकॉर्ड एवं लेखा संधारण विपणन। • कृषि आधारित आयमूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन : उद्यांनिकी विकास, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, पौधशाला निर्माण, जैविक खेती। • आजीविका के अन्य विकल्प : मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मीग, ईटों का निर्माण, मशरुम कल्टीवेशन, दोना पत्तल निर्माण, वनोपज पेकिंग इत्यादि।	• पी.आई.ए. • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता • संबंधित विभागों के अधिकारी • सेडमेप के जिला संयोजन • पार्टनर एन.जी.ओ.	• उपयोगकर्ता दल • स्वयं सहायता समूह • महिला बचत एवं साख समूह • लद्यु एवं सिमांत किसान • भूमिहीन मजदूर
तृतीय वर्ष	जिला	• मध्यावर्ति मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं तैयारी।	जिला तकनीकी सलाहकार	पी.आई.ए.

		• स्वयं सहायता समूह का बैंकों एवं अन्य शासकीय योजनाओं से समन्वय।	समिति/जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ/ पार्टनर एन.जी.ओ.	
	ब्लॉक/ मिलीवाटरशेड	• मध्यावर्ति मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं तैयारी। • स्वयं सहायता समूह का बैंकों एवं अन्य शासकीय योजनाओं से समन्वय।	प्रशिक्षित पी.आई.ए. सदस्य / पार्टनर एन.जी.ओ.	• ग्रामीण जलाभिषेक समिति के अध्यक्ष/सचिव • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता : जल मित्र, विकास मित्र, समूह मित्र
	ग्राम	• संसाधन आधारित आयमूलक गतिविधियों की पहचान। • आयमूलक गतिविधियों हेतु परियोजना निर्माण, रिकॉर्ड एवं लेखा संधारण विपणन। • कृषि आधारित आयमूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन : उद्यानिकी विकास, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, पौधशाला निर्माण, जैविक खेती। • आजीविका के अन्य विकल्प : मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्मीग, ईटों का निर्माण, मशरुम कल्टीवेशन, दोना पत्तल निर्माण, वनोपज पेकिंग इत्यादि।	• पी.आई.ए./पार्टनर एन.जी.ओ. • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संबंधित विभागों के अधिकारी • सेडमेप के जिला संयोजन	• उपयोगकर्ता दल • स्वयं सहायता समूह • महिला बचत एवं साख समूह • लद्यु एवं सिमांत किसान • भूमिहीन मजदूर
चतुर्थ वर्ष	जिला	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं में एक्जिट प्रोटोकॉल।	जिला तकनीकी सलाहकार समिति/जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ।	पी.आई.ए.
	ब्लॉक/ मिलीवाटरशेड	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं में एक्जिट प्रोटोकॉल।	प्रशिक्षित पी.आई.ए. सदस्य	• ग्रामीण जलाभिषेक समिति के अध्यक्ष/सचिव • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता : जल मित्र, विकास मित्र, समूह मित्र
	ग्राम	• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अर्न्तगत निर्मित परिसंपत्तियों/संरचनाओं के रख–रखाब में समुदाय की भूमिका।	• पी.आई.ए. • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता	• उपयोगकर्ता दल • स्वयं सहायता समूह • महिला बचत

				एवं साख समूह • लघु एवं सिमांत किसान • भूमिहीन मजदूर
पंचम वर्ष	जिला	• अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया एवं तैयारियां।	जिला तकनीकी सलाहकार समिति/जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ।	पी.आई.ए.
	ब्लॉक/ मिलीवाटरशेड	• अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया एवं तैयारियां। • परियोजना का समाज को हस्तान्तरण।	प्रशिक्षित पी.आई.ए. सदस्य /पार्टनर एन.जी.ओ.	• ग्रामीण जलाभिषेक समिति के अध्यक्ष/सचिव • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता : जल मित्र, विकास मित्र, समूह मित्र
	ग्राम	• परियोजना का समाज को हस्तान्तरण।	• पी.आई.ए. • ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता • पार्टनर एन.जी.ओ.	• उपयोगकर्ता दल • स्वयं सहायता समूह • महिला बचत एवं साख समूह • लघु एवं सिमांत किसान • भूमिहीन मजदूर

अनुलग्नक – 2

जलग्रहण क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु वार्षिक केलेण्डर

परियोजना / मिलीवाटरशेड / जिले का नाम	स्तर	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षण टीम	अपेक्षित प्रशिक्षणार्थी		प्रशिक्षण स्थल	प्रस्तावित माह
				श्रेणी	संख्या		

अनुलग्नक – 3

जलग्रहण क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रपत्र

1. परियोजना / मिलीवाटरशेड / जिले का नाम :

2. परियोजना अवधि :

3. प्रशिक्षण स्तर : जिला / मिलीवाटरशेड / ग्राम :

4. स्त्रोत व्यक्ति / विषय विशेषज्ञ : (i) विशेषज्ञता (ii) संख्या

5. विषय वस्तु :

क्र.	विषय	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण सामग्री	संदर्भ सहित
1				
2				
3				
4				

6. प्रशिक्षण स्थल :

7. अनुश्रवणकर्ता की टीप (प्रशिक्षणार्थियों से की गई चर्चा के आधार पर)

हस्ताक्षर अनुश्रवणकर्ता :–

नाम :–

पद :–

जिला / मिलीवाटरशेड / परियोजना :–